

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार मीणा RTS सरदारशहर

प्र0सं. 08/2022 अन्तर्गत भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91


सरकार बनाम भंवरसिंह पुत्र सावंतसिंह जाति राजपूत निवासी राजासर  
बीकान तहसील सरदारशहर जिला चूरु।

:-निर्णय:-

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का राजासर बीकान ने रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि भंवरसिंह पुत्र सावंतसिंह जाति राजपूत निवासी राजासर बीकान तहसील सरदारशहर जिला चूरु द्वारा रोही मौजा राजासर बीकान के खसरा नं0 249 तादादी 4.66 हक्टे. गैर मुमकिन रास्ता की भूमि में से 0.005 हैक्टे. भूमि पर नाजायज रूप से बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। जिसकी पुष्टि संबंधित हल्के के भू.अ.नि. द्वारा भी की गयी।

हमने पटवारी व भू.अ.नि. की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज किया। अप्रार्थी को धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया। नोटिस की अप्रार्थी को विधिवत तामील करवाई गयी। तामील की प्रति पत्रावली के सलंग्न है। नोटिस के प्रत्युत्तर में अप्रार्थी ने जवाब नोटिस प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का रास्ता अवरुद्ध नहीं कर रखा है तथा यह भी अंकित किया कि अप्रार्थी का अगर रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो अप्रार्थी का अतिक्रमण हटा दिया जाये जिससे अप्रार्थी को कोई उजर आपत्ति नहीं होगी।

अप्रार्थी ने अपने जवाब में यह अंकित तो किया है कि अप्रार्थी का कोई अतिक्रमण कर रास्ता अवरुद्ध नहीं किया गया है लेकिन अतिक्रमण के संबंध में हल्का पटवारी ने रिपोर्ट पूर्ण जांच कर व सही नाप कर ही की है। जिससे अप्रार्थी का प्रथम दृष्टया ही जवाब सारहीन प्रतीत होता है जो अप्रार्थी ने सिर्फ न्यायालय का समय जाया करने व न्यायालय को गुमराह करने के लिए प्रस्तुत किया है।



पटवारी हल्का की रिपोर्ट और अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सारहीन जवाब से यह स्वतः सिद्ध होता है कि अप्रार्थी ने खसरा नं. 249 तादादी 4.66 हैक्टे. की भूमि में से 0.005 हैक्टे भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है जिसका अप्रार्थी को कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कटाणी रास्ते को अवरुद्ध कर देना न्यायोचित नहीं है जिसके

My 4  
तहसीलदार  
सरदारशहर

लस्वरूप अप्रार्थी के विरुद्ध नियमानुसार कठोरतम निर्णय पारित किया जाना उचित है जिससे भविष्य में कोई खातेदार कटाणी रास्ते को दूसरी जगह परिवर्तित न कर पाये।

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट, भू.अ.नि. की जांच रिपोर्ट का सूक्ष्मता से अध्ययन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी का रोही मौजा राजासर बीकान के खं.नं. 249 तादादी 4.66 हैक्टे. गैर मुमकिन रास्ता की भूमि में से 0.005 हैक्टे. भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर न्याय हित में अप्रार्थी के विरुद्ध नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत है जिससे भविष्य में कोई अतिक्रमी राजकीय भूमि पर अतिचार न कर सके।

अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर अप्रार्थी पर आरोपित दोष सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को भू.राजस्व का 50 गुणा अर्थात् 06 रु. तावान के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। हल्का पटवारी तावान राशि कायम कर अप्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जमा करवायें। भू.अ.नि. वृत् रंगाईसर को आदेशित किया जाता है कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करे।

पत्रावली निर्णय में शुमार की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। निर्णय आज दिनांक 27.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया



५५  
(पवन कुमार मीणा)  
नायबहसीलदार  
सरदारशहर